भुगतान : चयनित लाभार्थी को रेखांकित चेक के माध्यम से रु० 2000/- का भुगतान किया जाता है।

निराश्रित विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान

पात्रता : समस्त ऐसी आवेदिकाएं जो विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हो।

भुगतान : '**प्रथम आगत, प्रथम पावत**' के आधार पर चयनित लाभार्थियों को रेखांकित चेक रु० 10,000/- का भुगतान किया जाता है।

अनु० जाति उत्पीड़न में सहायता हेतु अनुदान

1. सामान्य चोट में अनुदान धनराशि रु० 25,000=00 स्वीकृत कर प्रथम किश्त 6250=00 प्रदान किया जाता है। शेष धनराशि वादी के मुकदमा जीतने पर ही देय होगी।
2. गंभीर चोट में रु० 50,000=00 स्वीकृत कर प्रथम किश्त रु० 12500/- प्रदान की जाती है। शेष धनराशि उपरोक्तानुसार मुकदमा निर्णय के बाद प्रदान की जाती है।
3. **बलात्कार** :- रु० 50,000=00 स्वीकृत किया जाता है। प्रथम किश्त रु० 25,000=00 प्रदान की जाती है। शेष धनराशि मुकदमा के निर्णय के बाद उपरोक्तानुसार प्रदान की जाती है।
4. **हत्या** :- परिवार के मुखिया की हत्या पर रु० 2,00,000=00 (दो लाख) तथा परिवार के किसी अन्य सदस्य की हत्या होने पर रु० 1,00,000=00 (एक लाख) स्वीकृत किया जाता है। उक्त दोनों मामले में प्रथम किस्त 75% भुगतान किया जाता है। शेष 25% मुकदमा के निर्णय के बाद प्रदान करने का प्राविधान है। यदि वादी की जीत होती है तभी शेष धनराशि प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों हेतु कार्यक्रम

स्थापना एवं उद्देश्य : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस निगम की स्थापना मार्च 1995 में कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत की गई। निगम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास करना। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय/प्राविधिक एवं विपणन सम्बन्धी सहायता प्रदान करना। बैंक/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त निगम के सहयोग से वित्तपोषित कराकर अनुदान तथा 'मार्जिन मनी' ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पात्रता

1. अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो।

2. गरीबी की रेखा के नीचे निवास कर रहा हो। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की सालाना आय रु०11000/- एवं शहरी क्षेत्र में 11850/-रुपये निर्धारित है।

3. ग्रामीण क्षेत्र में आय प्रमाण-पत्र आर्थिक रजिस्टर के आधार पर ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा एवं शहरी क्षेत्र में तहसीलदार परगनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

4. ग्रामीण एवं शहरी दानों क्षेत्रों में जाति प्रमाण-पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी जिसमें जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगनाधिकारी एवं तहसीलदार सम्मलित हैं, द्वारा निर्गत किया जायेगा।

निगम द्वारा संचालित योजनाएँ

1. स्वत: रोजगार योजना : अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्ति को अपने क्षेत्र एवं रुचि की आवश्यकतानुसार 7.00 लाख लागत तक की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाएँ बैंक के सहयोग से वित्त पोषित कराई जाती हैं। कुल भौतिक लक्ष्य का 85% ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 15% शहरी क्षेत्रों में आच्छादित करने का प्राविधान है। निर्धारित लक्ष्य का 55% कृषि क्षेत्र में तथा 45% अकृषि क्षेत्र की परियोजनाओं में वित्त पोषित किया जाताहै। योजना के अन्तर्गत औसत परियोजना लागत रु० 25000/- निर्धारित की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 50% अथवा 10000/- जो भी कम हो अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। कृषि क्षेत्र में रु० 20000/- तथा अकृषि क्षेत्र में रु० 25000/-से अधिक लागत की परियोजनाओं में परियोजना लागत की 25% धनराशि 4% ब्याज दर पर मार्जिन मनी ऋण के रूप में निगम की अंशपूजी से तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।